"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—— भाद्र 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक 7370/डी. 141/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 165 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 165 में,-

(एक) उप-धारा (6) के खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) उप-धारा (6) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु इस उप-धारा के प्रावधान, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अन्तर्गत अर्जित भूमि को लागू नहीं होंगे."

धारा 234 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 234 में,-

(1) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु इस धारा के प्रावधान, किसी राजस्व ग्राम को नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने तथा विकास योजना हेतु अंगीकृत किये जाने की दशा में, लागू नहीं होंगे."

धारा 247 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 247 की उप-धारा (4) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक 7370/डी. 141/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 15 of 2014)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2014. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section of 165 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of Section 165.**

(I) In clause (ii) of sub-section (6), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(II) After clause (ii) of sub-section (6), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that the provision of this sub-section shall not be applicable to the land acquired under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)."

3. In Section 234 of the Principal Act,- **Amendment of Section 234.**

(1) In sub-section (3), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(2) After sub-section (3), the following shall be added, namely :-

"Provided that the provision of this section shall not apply in case of notification of any revenue village as an urban area and adoption of a development scheme."

4. In sub-section (4) of Section 247 of the Principal Act, for the words, figures and parentheses "Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and parentheses "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acqusition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted. **Amendment of Section 247.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.